BAGHPAT POLICE

थाना साइबर क्राइम , जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम , जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी में सम्पूर्ण 4,73,366.00/- रूपये वापस कराये गये–

पीड़ित श्री मनोज पुत्र श्री देवेन्द्र निवाली बड़ौत, थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 33111250160817 पर 4,73,366.00/- रुपये खाता से कटने की शिकायत की गयी । जिसके फलस्वरुप थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के सम्पूर्ण 4,73,366 रुपयों को वापस कराया गया।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना साइबर क्राइम	33111250160817	4,73,366.00/-

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गौवध के आरोपी फरमान को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 माह का कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2003 में अभियुक्त फरमान पुत्र अब्दुल करीम निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा गौवध करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 123/2003 धारा 5/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.11.2025 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त फरमान को दोषी पाते हुए 06 माह का कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 18.11.25

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

नरेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ---

1.उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2.का0 1124 अजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।